<u>न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल बेगूसराय</u>
<u>परिवाद संख्या – 2099सी / 2015</u>

शंकर साह
बनाम
राजकुमार साह एवं वगैरह

दिनांक –26.11.2019

अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी अनुपस्थित है। । कुल 11 अभियुक्तों में से 3 की ओर से हाजरी तथा शेष की ओर समयावेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। जिसे आज मात्र के लिए स्वीकृत किया जाता है। वाद का पुकार हुआ। पुकार पर उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए।

<u>आदेश</u>

परिवादी की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा – 311 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 26.07.19 तथा बचाव पक्ष की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा 245 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 22.07.19 दाखिल किया गया। जिसका प्रति उत्तर उभय पक्षों द्वारा दिनांक 06.09.19 को न्यायालय में दाखिल किया गया । परिवादी ने अपने आवेदन अंतर्गत धारा – 311 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया है कि उपरोक्त वाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेगूसराय के लिए न्यायालय से स्थानांतरित होकर श्रीमान के न्यायालय में आया तथा आरोप पूर्व साक्ष्य बंद कर दिया गया। यह कि अभियोगी अपना एवं अपने गवाहों को आरोप पूर्व साक्ष्य कराना चाहता है। यह कि न्याय हित में अभियोगी एवं अभियोगी के गवाहों का आरोप पूर्व साक्ष्य कराना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अभियोगी एवं अभियोगी के गवाहों को आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे। बचाव पक्ष ने अपने प्रति उत्तर दिनांक 26.07.19 में कथन किया है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 22.07.19 को अंतर्गत धारा 245 के तहत आवेदन दाखिल किया जा चुका है। यह कि प्रस्तुत वाद में कोई भी आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कि प्रस्तुत वाद में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र के पेज नं0 3 पारा न0 2 में घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद बताया गया है और पारा न0 1 में तथाकथित घटना काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आधारित है। यह कि परिवादी की ओर से दाखिल आवेदन 26.07.19 पोषणीय नहीं है। खर्चा के साथ खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को परिवादी के आवेदन अंतर्गत धारा 311 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 26.07.19 पर सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.06.17 को अभिलेख आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत हुआ था। एक तिथि के पश्चात अभिलेख स्थानांतरण हेतु लंबित रहा। तद्पोरांत अभिलेख स्थानांतरण के क्रम में दिनांक 16.03.19 को इस न्यायालय को आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु नियत होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 11. 04.19 को परिवादी का आरोप पूर्व साक्ष्य परिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण बंद किया गया। साथ ही अभियुक्तों की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्तों का बंध पत्र खंडित किया गया। तदोपरांत अभियुक्तों की उपस्थिति पूर्ण हुई तथा परिवादी के द्वारा अंतर्गत धारा – 311 दं0 प्र0 सं0 का आवेदन एवं बचाव पक्ष की ओर से अंतर्गत धारा – 245 दं0 प्र0 सं0 का आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया।

अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी को अभिलेख स्थानांतरण के कारण अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परिवादी आवेदन अंतर्गत धारा – 311 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 26.07.19 को **<u>700 रूपया खर्च</u>** के साथ एवं इस निर्देश के साथ कि परिवादी अपना **<u>सम्पूर्ण आरोप पूर्व साक्ष्य अगली नियत तीन तिथियों में</u>** न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, **<u>स्वीकृत</u>** किया जाता है। बचाव पक्ष को आवेदन अंतर्गत धारा – 245 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 22.07.19 को उचित स्टेज आने पर सुना जायेगा।

योगेश कुमार मिश्र
न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, मंझौल